Special Issue

Important Topic

65th BPSC Main Examination-2020

TOPIC:

15 वां वित्त आयोग और बिहार

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के मध्य कुल कर संग्रह का अंश निर्धारित करना है। इसका गठन प्रत्येक पांच वर्ष पर किया जाता है। वित्त आयोग सरकारों के राजस्व संग्रहण की शक्ति और कार्यात्मक दायित्वों के बीच विसंगति के कारण उत्पन्न संघ और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय में असंतुलन का समाधान करने का भी काम करता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280** में किया गया है। भातीय संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया और 22 नवंबर, 1951 को पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्रियान्वयाधीन (वर्ष 2015-20 तक) है।

भारत सरकार के पूर्व सचिव **श्री एन. के. सिंह** की अध्यक्षता में **15वें वित्त आयोग** का गठन किया गया है। श्री अरविंद मेहता को आयोग का सचिव बनाया गया है। यह आयोग 30 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगा। 15वें वित्त आयोग के कार्य और सिफारिशों को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है (बिहार के विशेष संदर्भ में)-

आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिफारिश करेगा-

- संघ और बिहार सरकार के बीच करों के शुद्ध आगमों के जो संविधान के भाग-12, अध्याय-1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और बिहार में ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के विषय में।

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

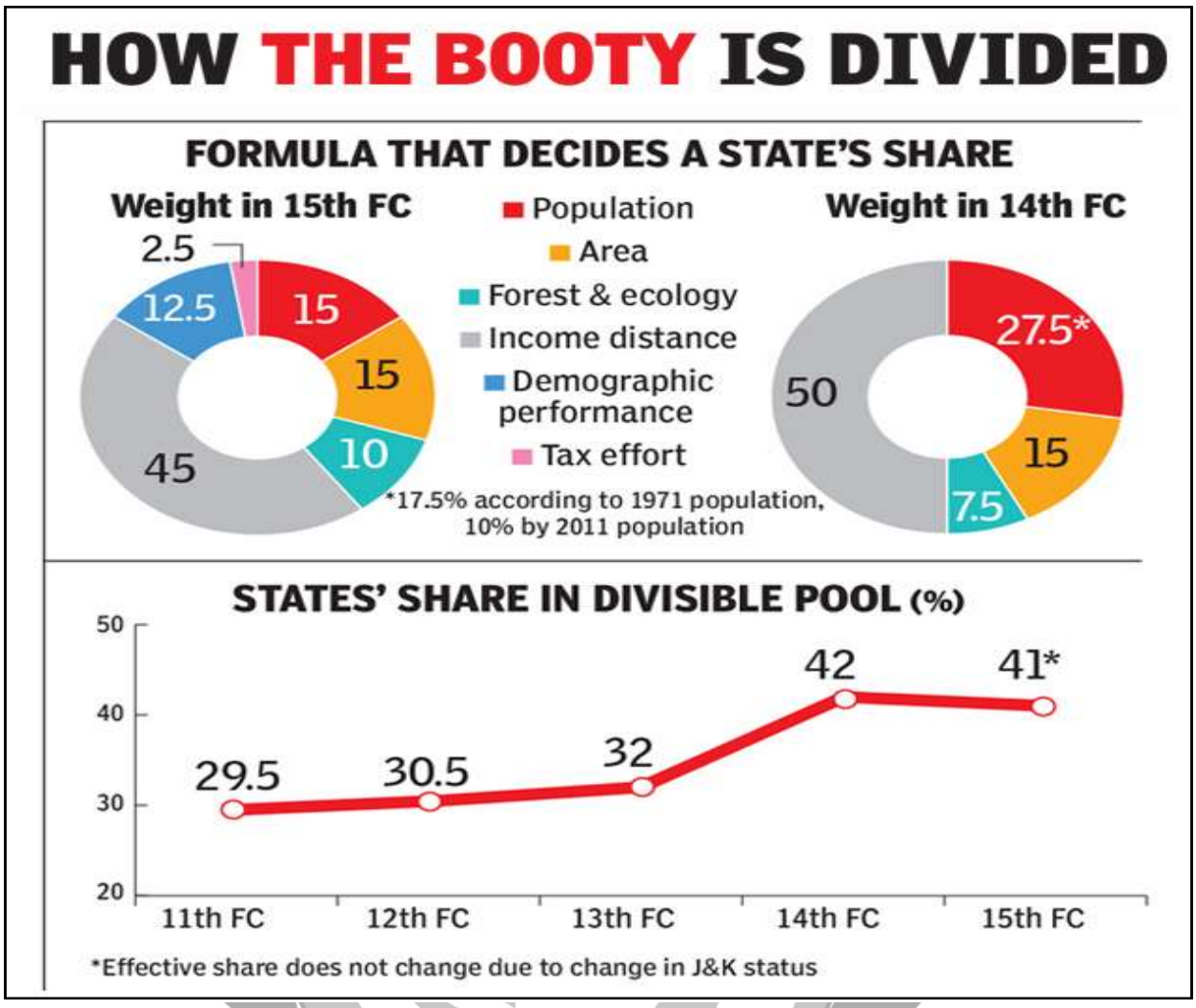

- भारत की संचित निधि में से बिहार के राजस्व में सहायता–अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा, अन्य प्रयोजनों हेतु उनके राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में बिहार को दी जाने वाली धनराशि कितनी होगी, के विषय में।
- बिहार वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय पर विचार कर सकेगा।

- आयोग केन्द्र और बिहार सरकार के वित्त, घाटा, ऋण का स्तर, नकद शेष और राजकोषीय अनुशासन के प्रयासों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा और समानता, कुशलता एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों के आधार पर देश में उच्च समग्र विकास को प्रोत्साहित करते हुए, सामान्य और समेकित सरकारी ऋण और घाटे के समुचित स्तर के अनुरूप केन्द्र सरकार और बिहार सकरार के दायित्व को ध्यान में रखते हुए सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन हेतु एक राजकोषीय समेकित रूपरेखा की सिफारिश करेगा। आयोग यह भी जांच कर सकता है कि क्या किसी भी तरह से राजस्व घाटा अनुदान दिया जाए।
- आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए अन्य विचारणीय विषयों में निम्नलिखित पर ध्यान देगा:-

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

Special Issue

- कर और गैर-कर राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होकर पांच वर्षों हेतु केन्द्र सरकार और बिहार सरकार के वर्ष 2024-25 तक संभावित संसाधन तथा कर और गैर-कर राजस्व के संदर्भ में उनकी संभाव्यता और राजकोषीय क्षमता पर भी विचार करेगा।
- केन्द्र सरकार के संसाधनों विशेषत: **रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, प्रशासन** आदि के प्रति प्रतिबद्धता से संबंधित मांग और अन्य प्रतिबद्ध व्यय और देयताएं पर ध्यान देगा।
- बिहार सरकार के संसाधनों, विशेषत: **सामाजिक-आर्थिक विकास और दयनीय अवसंरचना के वित्तपोषण, परिसम्पत्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास और उनकी जनोपयोगी सेवाओं हेतु ऋण और देयताओं के प्रभाव** से संबंधित मांग पर विचार करेगा।

LOSERS AND GAINERS

STATE	SHARE IN TAXES, 14th FC	SHARE IN TAXES, 15th FC	INCREASE/DECREASE
Karnataka	4.71%	3.64%	-1.07
Kerala	2.50%	1.94%	-0.56
Maharashtra	5.53%	6.13%	0.61
Rajasthan	5.49%	5.98%	0.49
Bihar	9.66%	10.06%	0.40

- **न्यू इंडिया-2022** सहित राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की निरंतर अनिवार्यता से जुड़े 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण बिहार को बढ़ी हुई मात्रा में कर अंतरण के कारण संघ सरकार की राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव का आंकलन करेगा।
- केन्द्र और बिहार के वित्त पर पांच वर्ष के लिए संभावित राजस्वों की हानि हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान और कई उपकरों की समाप्ति के कारण तत्संबंधी क्षतिपूर्ति और अन्य संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु धनराशि अलग से रखने के साथ ही माल और सेवा कर के प्रभाव की समीक्षा करेगा।

- आयोग सरकार के समुचित स्तर पर बिहार के लिए मापने योग्य कार्य निष्पादन आधारित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रस्ताव निम्नलिखित क्षेत्रों में दे सकता है-

- माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत कर क्षेत्रों के विस्तार और उसके दायरे को बढ़ाने में बिहार द्वारा किया गया प्रयास की सफलता अथवा असफलता।
- जनसंख्या वृद्धि की विस्थापन दर की ओर बढ़ने में किए गए प्रयास और हुई प्रगति की समीक्षात्मक विवरण/के विषय में।
- भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं, आपदारोधी अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों और व्यय की गुणवत्ता के बिहार में कार्यान्वयन संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा।
- बढ़ते हुए पूंजी व्यय, ऊर्जा क्षेत्र की हानियों को समाप्त करने और भावी आय क्षेत्रों के सृजन में ऐसे व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने में हुई प्रगति।
- बढ़ रहे कर/गैर-कर राजस्वों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरणों और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर बचत को बढ़ाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने तथा सरकार और लाभार्थियों के बीच के स्तरों को समापत करने के क्षेत्र में की गई प्रगति।

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

- संबंधित नीति और विनियामक परिवर्तनों को लागू करके व्यवसाय करने की सहजता को प्रोत्साहन तथा श्रम प्रधान विकास को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हुई प्रगति।
- मौलिक सेवाओं, जिनमें गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन शामिल है हेतु स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान तथा सेवाओं की अदायगी में सुधार करने हेतु कार्यनिष्पादन अनुदान प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रावधान।
- लोक प्रचलित उपायों पर व्यय करने पर नियंत्रण या इसका अभाव।
- स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच को समाप्त करने में व्यवहार संबंधी बदलाव लाने के क्षेत्र में हुई प्रगति।

- आयोग अपनी सिफारिशें करने के लिए **2011** की जनगणना के आंकड़े का उपयोग करेगा।
- आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल की वित्तपोषण संबंधी वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकता है और तत्संबंधी समुचित सिफारिशें भी केन्द्र सरकार से करेगा।
- आयोग यह प्रदर्शित करेगा कि किस आधार पर यह अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है और बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान उपलब्ध करवाएगा।
- आयोग 30 अक्टूबर, 2025 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की अवधि अंतर्विष्ट होगी।

Share in Centre's devolution of Tax Revenue: 15th Finance Commission

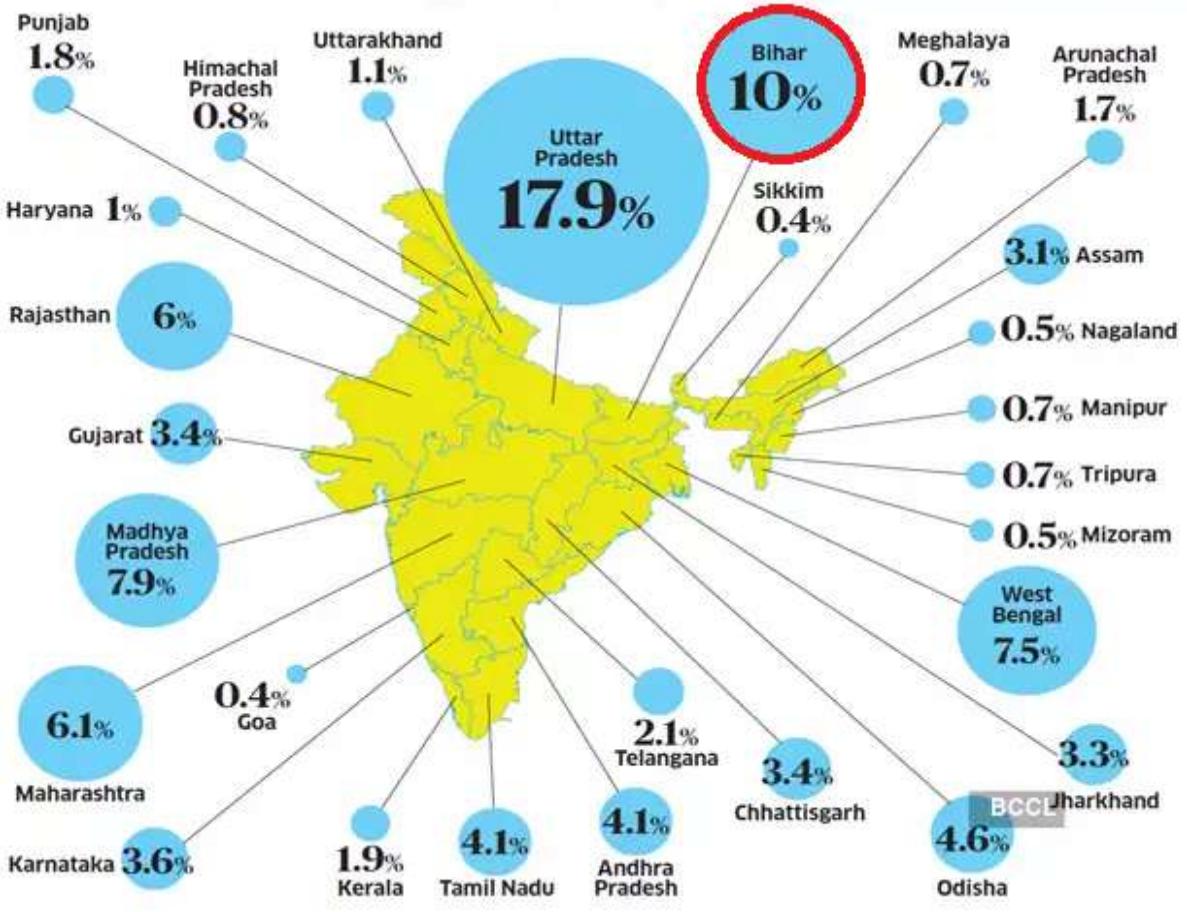

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

- 15वें वित्त आयोग के सदस्यगण : कुल 4 सदस्य

1. शक्तिकांत दास, भारत सरकार के पूर्व सचिव : पूर्णकालिक सदस्य

2. डॉ. अनूप सिंह (ऐजंगक्ट प्रोफेसर, जार्जटाउन विश्वविद्यालय) : पूर्णकालिक सदस्य

3. डॉ. अशोक लहरी, चेयरमैन (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक) बंधन बैंक : अंशकालिक सदस्य

4. डॉ. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग : अंशकालिक सदस्य

Special Issue

अबतक गठित वित्त आयोग:

कुल 15

वित्त आयोग	नियुक्ति वर्ष	अध्यक्ष	अवधि
पहला	1951	क्षितिज चंद्र नियोगी	1952–1957
दूसरा	1956	कस्तुरीरंगा संथानम	1957–1962
तीसरा	1960	ए. के. चंद्रा	1962–1966
चौथा	1964	डॉ. पी. वी. राजमन्नार	1966–1969
पांचवां	1968	महावीर त्यागी	1969–1974
छठवां	1972	पी. ब्रह्मानंद रेड्डी	1974–1979
सातवां	1977	जे. एम शैलट	1979–1984
आठवां	1982	वाई. पी. चौहान	1984–1989
नौवां	1987	एन. के. पी. साल्वे	1989–1995
दसवां	1992	कृष्ण चंद्र पंत	1995–2000
ग्यारहवां	1998	प्रो. अली मोहम्मद खुसरो	2000–2005
बारहवां	2003	डॉ. चक्रवर्ती रंगराजन	2005–2010
तेरहवां	2007	डॉ. विजय एल केलकर	2010–215
चौदहवां	2012	डॉ. यागा वेणुगोपल रेड्डी	2015–2020
पंद्रहवां	**2017**	**डॉ. एन. के. सिंह**	**2020–2025**

By
SANTOSH KASHYAP
BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
NEW DELHI
What's app No.- 9355167891 Facebook:- BIHAR NAMAN
Telegram Link:- http:t.me/biharnaman
Email Id:- biharnaman@gmail.com

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE